संख्या-14/2016/942/क0नि0प्र0/26-3-2016-15(03)/2015

प्रेषक,

केदारनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांक: 09 सितम्बर,2016
समाज कल्याण विभाग

विषयः- अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये कार्यो की गठित समिति द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-697-698/स.क./विकास/53/अनुसूचित जाति सब-प्लान/2016-17 दिनांक 25 जुलाई,2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर के स्वीकृत किये गये विकास कार्यो की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. निदेशालय,समाज कल्याण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त प्रश्नगत योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भौतिक सत्यापन कराने हेतु निम्नवत् तीन सदस्यीय समिति गठित की जाती है:-

(1) संबंधित जनपद के मण्डलीय उप निदेशक,समाज कल्याण।

(2) मण्डल/जनपद में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (पूर्व उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम)

(3) जनपद में तैनात वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी। लेखाधिकारी।

3. उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा स्वीकृत कार्यो का तत्काल भौतिक सत्यापन कराया जाय। समिति स्वीकृति प्राक्कलन के सापेक्ष कराये गये कार्य, मौके पर संभव कार्य, कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण कर संस्तुति करेगी। समिति यह भी देखेगी क्या स्वीकृत प्राक्कलन inflated तो नहीं थी तथा यदि थी, तो नियमानुसार कितनी धनराशि का कार्य हुआ है, कितना भुगतान हुआ है व अवशेष कार्यो को पूर्ण करने हेतु कितनी धनराशि देय है, इस संबंध में भी समिति स्पष्ट संस्तुति करेगी। उक्त समिति द्वारा भौतिक सत्यापन के समय कराये गये कार्यो का डिजीटल फोटोग्राफ्स भी लेकर रिपोर्ट के साथ शासन को प्रेषित किया जायेगा।

4. योजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कराते समय, योजनान्तर्गत कार्य के प्रारम्भ में, कार्य के मध्य में एवं कार्य समाप्ति तक संबंधित ग्राम पंचायतों को भी सम्मिलित किया जाय एवं योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो की जानकारी संबंधित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्य स्थल पर चल रहे कार्यो से संबंधित बोर्ड लगाते हुए स्थलीय चित्र भी रखा जाय। इस योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो का विवरण व अभिलेख विकास खण्ड स्तर पर रखा जायेगा।

5. अतएव उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा स्वीकृत कार्यो की जांच/भौतिक सत्यापन कराकर आख्या एक सप्ताह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(केदारनाथ)
विशेष सचिव

संख्या-14/2016/942(1)/क0नि0प्र0(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रबन्ध निदेशक यू0पी0स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (पूर्व उ0प्र0समाज कल्याण निर्माण निगम), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2- समस्त संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) उत्तर प्रदेश।
4- समस्त संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- समाज कल्याण अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन।
6- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in